40

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर बैंच सागर

R. 3473-I/14

1. चन्द्रशेखर आयु 48 साल तनय श्री रामचरन यादव, पेशी विश्वविद्यालय में नौकरी, निवासी पथरिया रैय्यतवारी, तह0 व जिला सागर म.प्र.

2. घनश्याम आयु 30 साल तनय श्री रामचरन यादव पेशी कृषि, निवासी पथरिया रैय्यतवारी तह0 व जिला सागर म.प्र.

.... रिवीजनकर्ता गण

।।बनाम।।

1. तुलसीराम आयु 55 साल तनय कन्हैयालाल यादव, निवासी पथरिया रैय्यतवारी तह0 व जिला सागर

2. म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर सागर

..उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांकित 06.02.2013 को राजस्व प्र0क्र0 633/68 वर्ष 2012-2013, तुलसीराम विरुद्ध चन्द्रशेखर एवं अन्य । में पारित आदेश दि0 06.02.13 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर प्रार्थना करते हैं :--

1- यहकि, श्रीमान् एस.डी.ओ. सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.13 विधि विरुद्ध एवं तर्क संगत नहीं है ।

2- यहकि, माननीय विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यों का बारीकी से विश्लेषण ना करते हुए बेदखली आदेश पारित करके एक बहुत बड़ी वैधानिक भूल की है इसकारण भीउक्त आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3473-I/14 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	मैंने निगराकार अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया । इसके आधार पर मैं यह पाता हूँ कि आवेदकगण स्वयं छोटे घास की शासकीय भूमि ख.नं. 1 पर मकान निर्माण का कार्य कर अतिक्रमण कर रहे हैं, तथा निगरानी मेमो के पैरा 7 के अनुसार वे ऐसे अतिक्रमण की वजह से पहले भी जुर्माना भर चुके हैं । अतिक्रमण के विरुद्ध आरोपित आदेश दि. 6.2.13 द्वारा की गई शासकीय कार्यवाही में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस आदेश से तहसीलदार सही कार्यवाही ही कर रहे हैं । अतः निगरानी अग्राह्य की जाती है । साथ ही तहसीलदार, सागर को यह निर्देश भी दिये जाते हैं कि यदि इन आवेदकगण के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों ने भी उक्त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही करें । प्रति तहसीलदार - सागर आदेश पारित । पक्षकार/सूचित हों । प्रकरण समाप्त । दा. द. हो । (सदस्य)	

[कृ. प. उ.